-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 01.12.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **उ0प्र शासन द्वारा चलाये जा रहे जीरों टॉलरेंस टू वर्ड फ्रॉड स्टर्स नीति के क्रम में श्री राम निधि लिमिटेड नाम से फर्जी कम्पनी बनाकर काफी सारे लोगों से पैसे ठगने वाले अन्तर्जनपदीय गिरोह का बांदा पुलिस द्वारा किया गया भण्डाभोड।। गिरोह के 03 अभियुक्त गिरफ्तार।**
- **गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा फर्जी कम्पनी खोलकर लोगो को झूठी पॉलिसी बताकर फर्जी लोन व कम्पनी से जुड़ने, दुर्घटना/हेल्थ बीमा अनिवार्य कराने हेतु रुपये लेकर फरार हो जाने जैसी घटना को देते थे अंजाम । गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा अपना फर्जी नाम व फर्जी आधार कार्ड के माध्यम से किया जाता था फ्रॉड़ । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 लाख 60 हजार 650 नकद रुपयें बरामद ।**

विवरण- उ0प्र0 शासन मां0 मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा चलाये जा रही जीरों टॉलरेंस टू वर्ड फ्रॉड स्टर्स नीति क्रम में आज दिनांक 01.12.2025 को पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज, सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री मेविस टॉक के निकट पर्यवेक्षण थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा फर्जी कम्पनी चलाकर लोगो से झूठी पॉलिसी बताकर फर्जी लोन व कम्पनी से जुड़ने दुर्घटन/हेल्थ बीमा अनिवार्य कराने हेतु रुपये लेकर फरार होने वाले 03 अन्तर्जनपदीय अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 26.11.2025 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र की रहने वाली आरती मिश्रा व 50 अन्य औरतों के समूह द्वारा बताया गया कि 03 लोगो द्वारा एक फर्जी समूह कम्पनी श्री रामनिधि फाइनेन्स खोलकर लोगों को 70 हजार रुपये का लोन देने की बात व प्रतिमाह 3500 रुपये किस्त देने की बात कही गई। साथ ही बताया गया कि लोन लेने से पूर्व हमारी कम्पनी से जुड़ने व दुर्घटना/हेल्थ बीमा कराने हेतु 3500 रुपये प्रति व्यक्ति लेकर फरार हो गए। इस संबंध में थाना कोतवाली नगर पर प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की पहचान व गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तों को बड़ा बाईपास के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस द्वारा कड़ाई से पूछताछ कि गई तो अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोग फर्जी कम्पनी श्री रामनिधि फाइनेन्स समूह जो कि बांदा जनपद के आर.टी.ओ. चौराहा के पास ऑफिस खोला गया था व अपना फर्जी नाम व फर्जी आधार कार्ड का प्रयोग कर घटना को अंजाम दिए थे। साथ ही बताया कि लोगो से फर्जी लोन देने के बहाने से लोन देने से पहले कम्पनी से जुड़ना व दुर्घटना/हेल्थ बीमा कराने हेतु पहले ही 3500 रुपये जमा करने को कहते थे और जब पैसा आ जाता था तब रातों-रात कम्पनी आदि बंद कर स्थान बदल दिया करते थे और हमारे द्वारा पहले भी कई अन्य जनपदों में इस तरह की घटनाओ को अंजाम दिया गया है। अभियुक्तो के कब्जे से घटना में कारित 01 लाख 60 हजार 650 रुपये नकद बरामद हुये है। पुलिस द्वारा कड़ी से कड़ी जोड़कर अन्य जानकारी प्राप्त की जा रही है कि अभियुक्तों द्वारा और कहां- कहां इस प्रकार की घटनाओं को कारित किया गया व इसमें अन्य और कितने सदस्य शामिल है।

बरामदगी-

- 01 लाख 60 हजार 650 नकद रुपयें बरामद (फ्राड़ के)।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. विष्णु प्रकाश पुत्र जयनाथ निवासी ग्राम सुनरा थाना कोतवाली नगर जनपद महाराज गंज।
2. धीरेन्द्र पुत्र रामनरेश निवासी ग्राम रुद्रापुर थाना कोतवाली नगर जनपद महाराज गंज।
3. सर्वेश पुत्र लालबाबू निवासी ग्राम हर्दी थाना निचलौल जनपद महाराज गंज।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 891/25 धारा 303(2)/318(4) बीएनएस व बढोत्तरी धारा 317(2)/316(5) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री बलराम सिंह थाना प्रभारी कोतवाली नगर
2. श्री आशुतोष त्रिपाठी चौकी प्रभारी मण्डी समिति
3. उ0 नि0 श्री गजेन्द्र सिंह
4. कां0 प्रशान्त कुमार
5. का0 चन्दन सिंह
6. कां0 अनुराग यादव
7. कां0 सतीश कुमार

पूछताछ का विवरण- पूछताछ में अभियुक्तो द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा इस तरह की धोखाधड़ी की घटनाओं को जनपद कौशाम्बी के मंझनपुर में,जनपद हरदोई, जनपद बहराइच, जनपद गोण्डा, जनपद रायबरेली के लालगंज, जनपद फतेहपुर, जनपद बाराबंकी व जनपद सुल्तानपुर के बाद जनपद बांदा मे घटना कारित की गई है।